

खोम को हईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार नई दिल्ली। मेघालय सरकार ने खोम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खोम पर 2025 में पूर्वोत्तर रण में अपने हथियारों के दोहन पति की हत्या का आरोप है। सरकार ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को जस्टिस एमएम लुइस और जस्टिस सीतल नारायण की पीठ को बताया। उन्होंने कहा कि हई कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी को जमानत देने में गलती की है। जमानत के फैसले का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि जमानत इसलिए दी गई क्योंकि गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी के आधार पूरी तरह से नहीं दिए गए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि दस्तावेज को गैर-आपूर्ति एक टाइमफ्रामिकल जुटि के कारण गलत उद्धृत प्रवधान से संबंधित थी।

बहुजन हिताय!



बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 233 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 03 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन बी-2/370, सुल्तानपुरी दिल्ली-86

सीएपीएफ बिल के विरोध में उतरे पूर्व अफसरों की हो रही जासूसी, परिजनों की भी तैयार हो रही खुफिया रिपोर्ट



नई दिल्ली । (वेबवार्ता) केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) के पूर्व अफसरों की जासूसी कराई जा रही है। पिछले कई दिनों से उनके घरों के आसपास सदिग्ध लोग घूम रहे हैं। उन लोगों से जब वहां घूमने की वजह जानने की कोशिश होती है तो कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरा, जिन पूर्व एवं मौजूदा अफसरों के परिजन अपनी मांगों के समर्थन में राजघाट या जंतर-मंतर पर पहुंचे थे, उनके चेहरे पहचान कर संबंधित अफसरों की खुफिया रिपोर्ट तैयार हो रही है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सीआरपीएफ के पूर्व एडीजी एचआर सिंह एवं विभिन्न बलों के आधा दर्जन पूर्व आईजी ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेसवार्ता में यह दावा किया है। अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध

में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने कहा, एक डीआईजी का निलंबन और 20 अफसरों का तबादला, यह भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। डीआईजी बीसी पात्रा, जिन्हें एनएसजी से वापस आने के बाद त्रिपुरा में तैनात किया गया था, उन्हें सीसीएस रुल 10 (1) के तहत समर्थित कर दिया गया। उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। सिंह के मुताबिक, पात्रा एवं दूसरे अफसरों को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इन अफसरों ने सरकार या किसी शीर्ष अफसर के खिलाफ बयान नहीं दिया है। कैडर अफसरों ने अपने हित को लेकर कानूनी दायरे में अपना पक्ष रखा था। सरकार की सीएपीएफ के कैडर अफसरों की जायज मांग को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अलायंस के महासचिव रणबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि पूर्व अफसरों की

जासूसी कराना शर्मनाक है। उन्होंने कहा, एचआर सिंह एवं दूसरे कई पूर्व अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने वाली पैरामिलिट्री वीरगणाओं के चेहरे सोशल मीडिया में तलाशे जा रहे हैं। राजघाट और जंतर-मंतर की फुटेज खंगाली जा रही है। बीएसएफ के पूर्व आईजी विकास चंद्रा ने कहा, सीएपीएफ के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है, जबकि ए कैडर अधिकारी को जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले और उन्हें आरोपों की जानकारी दिए बिना ही निलंबित कर दिया गया है। एचआर सिंह ने सरकार को सीएपीएफ का एक विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया है। उसमें सरकार के प्रतिनिधि, कैडर अफसर, पूर्व अधिकारी एवं जनता को भी आमंत्रित किया जाए। इसके बाद सरकार को सीएपीएफ के नए कानून को वापस लेने पर विचार करना चाहिए। आईटीबीपी के पूर्व आईजी आनंद निंबाडिया ने कहा, इस मामले में एक एसआईटी गठित हो। वह इस प्रकरण की जांच करे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद भी कैडर अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अब इन अफसरों को 16 साल में पहली पदोन्नति मिल पा रही है। सीआरपीएफ के पूर्व आईजी आरके यादव ने कहा, हमें आईपीएस से कोई गुरेज नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि कैडर अफसरों को भी

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 पर सीएम रेखा गुप्ता बोलीं- यह सिर्फ पर्यावरण सुधार नहीं, जेब की बचत का भी साधन है

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 न केवल साफ-सुथरे पर्यावरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह आम नागरिकों की आर्थिक भलाई को ध्यान में रखकर बनाई गई जनहित की पॉलिसी भी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस पॉलिसी का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती खरीद लागत और जीवन भर के ऑपरेटिंग खर्च, दोनों को कम करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें अपनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले ज्यादातर लोगों के मन में मुख्य सवाल यही होता है कि क्या इससे सच में पैसे की बचत होगी। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 इस सवाल का साफ और सकारात्मक जवाब देती है। यह पॉलिसी कई तरह के फायदे देती है, जैसे खरीद पर इंसेंटिव, पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्कैप करने पर बोनास, जीवन भर रोड टैक्स से छूट, रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ी, और पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में कम ऑपरेटिंग और मटेनेंस लागत। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहन परिवारों, कमर्शियल ड्राइवरों और सभी तरह के व्यवसायों के लिए सबसे समझदारी भरा आर्थिक विकल्प बनते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले योग्य लाभार्थियों को 30,000

रुपये तक का खरीद इंसेंटिव, 10,000 रुपये का स्कैपिंग इंसेंटिव, जीवन भर रोड टैक्स से छूट और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी छूट मिलेगी। इन फायदों की वजह से, टैक्स से जुड़ी बचत के अलावा, शुरुआती तौर पर 50,000 रुपये से ज्यादा की बचत हो सकेगी। इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (1.5 कैटेगरी) खरीदने वाले योग्य लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का खरीद इंसेंटिव, 25,000 रुपये का स्कैपिंग इंसेंटिव, जीवन भर रोड टैक्स से छूट और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी। इससे टैक्स फायदों को छोड़कर, शुरुआती तौर पर 75,000 रुपये से ज्यादा की बचत संभव हो सकेगी, ऐसा रिलीज में कहा गया है। ईवी पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक रूरल सर्विस क्लिकल खरीदने वाले लोग अपनी पुरानी गाड़ी को स्कैप करने पर 15,000 का स्कैपिंग इंसेंटिव पाएंगे। इलेक्ट्रिक N-1 गुड्स कैरियर खरीदने वाले योग्य खरीदारों को 1 लाख तक का खरीद इंसेंटिव, 50,000 का स्कैपिंग इंसेंटिव, लाइफटाइम रोड टैक्स से छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ी मिलेगी। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इससे टैक्स फायदों के अलावा शुरुआती तौर पर लगभग 1.50 लाख की बचत होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भले ही ईवी पॉलिसी प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के लिए खरीद इंसेंटिव नहीं देती है, लेकिन

अगर कोई योग्य खरीदार इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए पारंपरिक ईंधन वाली कार को स्कैप करता है, तो उसे 1 लाख तक का स्कैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा, उन्हें लाइफटाइम रोड टैक्स से छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ी का फायदा भी मिलेगा। इन प्रावधानों की वजह से, सीधे खरीद इंसेंटिव न होने के बावजूद खरीदारों को काफी आर्थिक फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी की मुख्य विशेषता कई तरह के आर्थिक फायदों का मेल है, न कि सिर्फ एक तरह की सब्सिडी। योग्य खरीदार खरीद इंसेंटिव, स्कैपिंग इंसेंटिव, लाइफटाइम रोड टैक्स से छूट और एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ी का लाभ उठाकर गाड़ी को असल खरीद लागत को काफी कम कर सकते हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इसी वजह से दिल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए देश के सबसे आकर्षक रण्यों में से एक बन गई है। गुप्ता ने कहा कि सरकार ने पब्लिक फंड का इस्तेमाल वहां करने का फ़ैसला किया है जहां आम नागरिकों को सबसे ज्यादा फायदा हो। इस नज़रिए से, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और ह-1 गुड्स कैरियर जैसी गाड़ियों की कैटेगरी को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मध्यम और कम आय वाले परिवारों, कमर्शियल ड्राइवरों, डिलीवरी पार्टनर और छोटे व्यवसायों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली में मॉनसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में झमाझम बारिश; उमस भरी गर्मी से मिली राहत

नई दिल्ली । (वेबवार्ता) राजधानी दिल्ली में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है, इस साल मानसून 2 जुलाई को दिल्ली पहुंचा, जबकि इसकी सामान्य आने की तारीख 27 जून मानी जाती है। इस तरह इस बार मानसून निर्धारित समय से 5 दिन की देरी से पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 25 सालों में मानसून के आगमन की तारीख हर साल अलग-अलग रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2008 में मानसून सबसे पहले 15 जून को दिल्ली पहुंचा था, जबकि साल 2002 में सबसे अधिक देरी हुई थी और मानसून 19 जुलाई को आया था। ऐसे में इस बार की 5 दिन की देरी को असामान्य नहीं माना जा रहा है। मानसून की एंटी के साथ ही दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 20 मिमी बारिश तुलनाबाद में रिकॉर्ड की गई, जबकि उत्तरपुर में 18.5 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा सफरजोग, लोधी रोड, मेहरौली, मयूर विहार और जनकपुरी सहित कई इलाकों में भी बारिश हुई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश बेहद कम या नहीं के बराबर रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

राजधानी मेंकयामत की साजिश! दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया आईएसआई का आत्मघाती प्लान, दहलने से बची दिल्ली

(वेबवार्ता) नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी समर्थित एक बड़े अंतर-राष्ट्रीय आतंकी और हथियार तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में चार कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहाजद भट्टी और उसके गुणों के सीधे संपर्क में थे और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले और सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स के संपर्क में थे और एकट्रे जाने से बचने के लिए अपने हैंडलर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए विदेशी फोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से विदेशी निर्मित दो पिस्तौल (एक जिगाणा पिस्तौल और एक .30 बोर पिस्तौल), नौ जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन भी बरामद किए। पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल को एक खास खुफिया जानकारी मिली थी कि भट्टी और उसके पाकिस्तान स्थित साथी दिल्ली-एनसीआर में आतंकी घटना

की योजना बना रहे थे और इसके लिए पंजाब के युवाओं को भर्ती किया था। तकनीकी निगरानी और सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर, कई सदिग्धों की पहचान की गई और दिल्ली व पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी के बाद उनसे पुख्ताछ की गई। पहली सफलता अमृतसर के मजनी रोड से शुभदीप सिंह को गिरफ्तार से मिली, जिसके पास से पुलिस ने एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, पांच जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए। पुख्ताछ के दौरान उसने बताया कि वह शहाजद भट्टी नेटवर्क के पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ प्राप्त कर रहा था।

उससे पुख्ताछ के बाद पुलिस ने पंजाब से उसके साथियों, गुरजंट सिंह और साजन सिंह को गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं ने बताया कि उनके पास से एक जिगाणा पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। बाद में, 24 अप्रैल 2026 को पुलिस ने गगनप्रोत को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसके पास से एक मोबाइल फोन और कई अहम सबूत बरामद किए। स्पेशल सेल के मुताबिक, गगनप्रोत को उसके पाकिस्तानी हैंडलर्स ने दिल्ली में धार्मिक स्थलों और पुलिस ठिकानों की रेकी करने का काम सौंपा था। उसे दिल्ली में गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का काम भी सौंपा

अदृश्य और खतरनाक, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में एआई के इस्तेमाल को लेकर दी चेतावनी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के एक फैसले पर गंभीर चिंता जताई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किए गए नकली उदाहरणों और मामलों पर आधारित था। एस्पेल इन्फ्राप्रोजेक्टर्स के दिवालियापन मामले में एनसीएलटी के फैसले को रद्द करते हुए अदालत ने कहा कि फैसला लेने की प्रक्रिया पर हर चरण में इंसानी नियंत्रण पूरी तरह से बना रहना चाहिए और पेशेवरों के एआई पर निर्भर होने के खतरे के प्रति आगाह किया। कोर्ट ने यह बात तब कही जब उसे पता चला कि एनसीएलटी ने ऐसे फैसलों या पुराने उदाहरणों पर भरोसा किया था जो असल में थे ही नहीं, नकली थे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से मनुष्यवृत्त तरीके से बनाए गए थे। कोर्ट ने आगे कहा, एआई का यह नतीजा यानी नकली, गैर-मौजूद और मनुष्यवृत्त जानकारी बनाना और उसे कानून में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना कानून और न्याय के दायरे में मिथाइल आइसोसिनाइट गैस के रिखाव जैसा है। यह अदृश्य, खतरनाक और विनाशकारी है। जब तक किसी का ध्यान इस पर जाता है, तब तक यह न केवल सब कुछ दुष्टित कर चुका होता है, बल्कि न्यायिक

फैसले की बुनियाद को ही खत्म कर देता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि मनुष्यवृत्त सामग्री पर इस तरह निर्भर रहने से न्याय-निर्णयन और उसकी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर चोट पहुंचती है। अदालत ने कहा, यह एक और ऐसा मामला है जिसमें ट्रिब्यूनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार की गई ऐसी सामग्री पर भरोसा किया जो असल में मौजूद ही नहीं थी, नकली थी और मनुष्यवृत्त थी और ट्रिब्यूनल ने इसे अपने फैसले के समर्थन में एक नजीर (मिसाल) की तरह इस्तेमाल किया। अदालतों के फैसले सुनाने की प्रक्रिया में एआई को अपनाने की ओर बढ़ने के साथ ही कोर्ट ने हर चरण पर इंसानी देखल की जरूरत पर जोर दिया।



इसको बेहतर ढंग से करने या पूरी तरह से उनकी जगह लेने की क्षमता आ गई है। अदालत ने कहा, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम के बड़ो बोझ के बीच यह असाधारण क्षमता पेशेवरों को समझदारी से कुशलता से और तेजी से काम करने के लिए एआई को अपनाने और इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है। अदालत ने इसके लिए गारफील्ड लॉ लिमिटेड (जीएलए) का उदाहरण भी दिया जो यूके में रेगुलेटेड कानूनी सेवाएं देने के लिए मंजूरी पाने वाली पहली पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित लॉ फर्म है। अदालत ने कहा कि एआई से मिलने वाले नतीजे संतोषजनक और

प्रेरणादायक भी हो सकते हैं लेकिन अगर इसे बिना किसी नियम-कानून के छोड़ दिया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बौद्धिक कामकाज के तौर-तरीकों में घुसपैठ कर सकता है और जल्द ही हम अपनी विशाल क्षमताओं पर निर्भर बना सकते हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भले ही एआई को एक मददगार के तौर पर अपनाया जा सकता है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया पर हर चरण में इंसानी नियंत्रण पूरी तरह से बना रहना चाहिए।

अलग है। अदालत ने कहा, हालांकि, एआई की कड़नी जैसे-जैसे सामने आ रही है, वह अलग है। असल में यह जातिकारी है। यह न केवल हमारे काम में मदद करने वाला एक साधन है, बल्कि हमारी अपनी सोच, तर्क और यहां तक कि निर्णय लेने की क्षमता का भी एक विकल्प है। कोर्ट ने कहा कि जजों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एआई का बिना नियम-कानून वाला इस्तेमाल धीरे-धीरे कानूनी कामकाज, न्याय की प्रक्रिया और खुद फैसला लेने की प्रक्रिया में घुस जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह इन्सिनेशन (एआई द्वारा गलत जानकारी देने) की वजह या उन्हें ठीक करने की तकनीकी प्रक्रिया पर बात नहीं कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह काम इंजीनियरों और वैज्ञानिकों का है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक कमीटी बनाने और इस मामले की विस्तार से जांच करने का भी निर्देश दिया। यह मामला समर्थित की गई डायरेक्टर पूजा रमेश सिंह की एक याचिका से जुड़ा है। उन्होंने एनसीएलटी के उस आदेश को खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की ओर से सेक्शन 7 के तहत दायर अर्जी पर एस्पेल इन्फ्राप्रोजेक्टर्स को

कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस में शामिल करने की मंजूरी दी गई थी। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने 28 अगस्त, 2024 को 87.43 करोड़ रुपये के बकाया दावे के लिए इनसॉल्वेंसी याचिका को मंजूरी दी थी। एनसीएलटी ने 11 सितंबर, 2025 को इस आदेश को बखतर रखा। यह कर्ज जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा पैन इंडिया यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को दी गई 200 करोड़ रुपये की सुविधा से पैदा हुआ था। इस सुविधा के लिए एस्पेल इन्फ्राप्रोजेक्टर्स की कॉर्पोरेट गांटी और मुंबई के बोरिवली इलाके के गोखई में मौजूद जमीन को गिफ्टी खाने की व्यवस्था की गई थी। एनसीएलटी की बेंच, जिसमें यूटिलिटीजल मेबर रीटा कोहली और टेक्निकल मेबर मधु सिन्हा शामिल थीं ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि कॉर्पोरेट गांटी एस्पेल इन्फ्राप्रोजेक्टर्स पर लागू रहेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले के समर्थन में ऐसी जानकारी या उदाहरणों का सहारा लिया था जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था और जो केवल कल्पना पर आधारित थे। कोर्ट ने NCLT और एनसीएलटी के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रिब्यूनल से कहा कि वे तथ्यों के आधार पर फैसला करें।

सम्पादकीय...

उठते सवाल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर 'चर्चा' के केंद्र में हैं। इस बार वजह कोई चुनावी भाषण या विदेश नीति नहीं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और फिटोकरॅरसी में हुई भारी कमाई है। अमेरिकी सारकारी वित्तीय सुलासों के अनुसार, वर्ष 2025 में ट्रंप और उनके परिवार ने फिटोकरॅरसी से जुड़े कारोबारों के माध्यम से लगभग 1.2 अरब डॉलर की आय अर्जित की। इस सुलासे के बाद विपक्ष, नैतिकता विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं कि क्या राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति का निजी व्यावसायिक लाभ उठाना हिंदों के टकराव का माफ़ला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यदि उनकी संपत्ति बढ़ी है तो इसका कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था और रोज़र बाज़ार की मजबूती है। उनका कहना है कि जब रोज़र बाज़ार नज़ाबत जाता है तो हर कोई लाभ कमाता है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का प्रबंधन ब्लाईंड ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है, इसलिए वे अपने निवेश संबंधी फैसलों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि ट्रंप की आय का बड़ा हिस्सा उन फिटो परिचयानओं से आया है जिन्हें उनके राष्ट्रपति बनने के बाद शुरू किया गया। यही तथ्य पूरे विवाद का केंद्र है। वित्तीय सुलासों के अनुसार, ट्रंप को वर्ष 2025 में वर्ल्ड फ़िनट्री फ़ायनॉशियल नामक स्टार्टअप से लगभग 55 करोड़ डॉलर की आय प्राप्त हुई। इस कंपनी की स्थापना सितंबर 2024 में ट्रंप के बेटों और उनके मध्य-पूर्व विशेष दूत स्टीव बिट्कोफ़ के पुत्र ने मिलकर की थी। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 में ट्रंप के शासन प्रारंभ से कुछ घंटे पहले लांच किए गए ट्रंप नामक फिटो टोकन के लाइसेंसिंग समझौते से उन्हें लगभग 63.5 करोड़ डॉलर की राशिय प्राप्त हुई। इन दोनों स्रोतों से हुई आय ने ट्रंप को व्यक्तिगत संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि दी। व्यावसायिक पत्रिका *Forbes* के अनुसार, 2024 में नहीं उनकी अनुमानित संपत्ति 2.3 अरब डॉलर थी, वहीं 2026 तक यह बढ़कर लगभग 6.5 अरब डॉलर हो गई। इस तेज़ वृद्धि का सबसे बड़ा कारण उनके फिटो निवेश और उससे जुड़े व्यावसायिक उपक्रम बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क है कि उन्होंने राजनीति में आने से पहले ही एक सफल कारोबारी के रूप में अपने पहचान बनाई थी। उनका कहना है कि उनकी आर्थिक संपत्ति पहले से मौजूद थी और अब उनका प्रबंधन स्वतंत्र वित्तीय संस्थाएँ करती हैं। इसलिए राष्ट्रपति पद का उपयोग निजी लाभ के लिए करने का आरोप गिराए जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर, नैतिकता के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई राष्ट्रपति ऐसे उद्योग से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा हो, निजीकी नीतियाँ चूँती स्वयं तय कर रहा हो, तो हिंदों के टकराव की आशंका स्वाभाविक है। ट्रंप प्रशासन ने सता में आने के बाद फिटोकरॅरसी क्षेत्र के लिए कई नियामकीय ढोल संबंधी कदम उठाए। इन फैसलों के कारण फिटो बाज़ार में तेजी आई और अनेक डिजिटल परिमर्पितियों के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यही कारण है कि निष्पक्षी दलों का आरोप है कि सरकारी नीतियों से अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप के निजी कारोबार को लाभ पहुंचा। आलोचकों का कहना है कि यदि कोई राष्ट्रपति किसी उद्योग से सीधे आर्थिक रूप से जुड़ा हो तो उस उद्योग से संबंधित नीतिगत निर्णयों को निष्पक्षता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। ब्रह्मट हाउस ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। प्रशासन का कहना है कि ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया की फिटो राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनका दावा है कि इन नीतियों से केवल राष्ट्रपति हो नहीं बल्कि लाखों अमेरिकी निवेशकों और तकनीकी कंपनियों को भी लाभ हुआ है। प्रशासन का यह भी कहना है कि फिटो उद्योग में निवेश और नज़ाबत को प्रोत्साहित करने से अमेरिका वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहेगा। वहीं, विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति पद केवल आर्थिक विकास का माध्यम नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास की जिम्मेदारी भी है। यदि जनता को यह महसूस हो कि सत्ता पर पड़ चुका व्यक्ति अपने निजी आर्थिक हिंदों को बढ़ावा दे रहा है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वासमोटाया प्रभावित हो सकती है। इस पूरी विवाद ने एक बार फिर यह बहस तेज़ कर दी है कि आधुनिक लोकतंत्र में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए किनीय वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक है। अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सुलासा पर्याप्त नहीं है। यदि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के व्यावसायिक हिंद सीधे सरकारी नीतियों से प्रभावित हो सकते हैं, तो अधिक कठोर नैतिक नियमों की आवश्यकता हो सकती है। फिटोकरॅरसी स्वयं भी एक तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है। इसकी कीमतें सरकारी नीतियों, नियामकीय घोषणाओं और निवेशकों की धारणा से काफी प्रभावित होती हैं। ऐसे में यदि नीति निर्माता स्वयं इस क्षेत्र में बैठे निवेशक हों, तो निष्पक्ष निर्णय लेने को लेकर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि उन्होंने अपने कारोबारी जीवन में जो सफलता हासिल की है, उसी का विस्तार आज भी दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार, किसी व्यक्ति की संपत्ति बढ़ना अपने आप में कोई अपराध नहीं है, विशेषकर तब जब उसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए केवल कानूनी वैधता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी उठनी हों। महत्वपूर्ण होती है। अंततः यह विवाद केवल डोनाल्ड ट्रंप को संपत्ति बढ़ा साँपित नहीं है। यह उस व्यापक प्रश्न को सामने लाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता और निजी व्यवसाय के बीच स्पष्ट दूरी कैसे बनाए रखी जाए। अपने चले समय में यह बहस और तेज़ हो सकती है, विशेषकर तब जब अमेरिका में फिटो उद्योग का विस्तार जारी है और सत्तार की नीतियाँ इस क्षेत्र की दिशा तय कर रही हैं। ट्रंप के मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस तेज़ दौर में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

भारत-जापान संबंधों को नई गति

भारत और जापान के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोगी लगातार मजबूत होते जा रही हैं। इसी कड़ी में जापान की प्रधानमंत्री सुनाए ताकहशी की तीन दिवसीय भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। यह ताकहशी की प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली आधिकारिक भारत यात्रा है, जो 1 से 3 जुलाई तक अखीरत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत-जापान 16वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। संयुक्त घोषित्व मंत्र एवसा पर उन्होंने विज्ञा कि भारत उनकी पहली आधिकारिक यात्रा की मेजबानी करे प्रसन्न है और उन्हें विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक सहयोगों को नई ऊर्जावर्धक ले जाएगी। वहीं सुनाए ताकहशी ने भी भारत पहुंचने को तत्क्षीर सख्त करते हुए इस यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया। भारत और जापान के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत मजबूत रहे हैं। दोनों लोकतांत्रिक देश इंड़े-पड़ोसिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थक हैं। पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच संबंधों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। कूटदूट ट्रेन परियोजना, मेट्रो रेल, औद्योगिक रिलियाय, डिजिटल तकनीक और खा सहयोग जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोगी लगातार बढ़ रही है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच आर्थिक निवेश, व्यापार, खा, समुद्री सुरक्षा, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर निर्माण, कृषि बलुडमाय, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में भी मिलकर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान की सहयोगी का महल और बढ़ गया है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते समर्थक समीकरण, चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा की चुनौतियाँ तथा वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा जैसे मुद्दे दोनों देशों को एक-दूसरे की ओर करीब ला रहे हैं। यही कारण है कि दोनों देश विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक सहयोगी के तहत खा सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं। खा क्षेत्र में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा सहयोग और खा तकनीक के जटन-प्रदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दोनों देश ब्रह्मट समूह के सदस्य भी हैं, जिसमें अमेरिका और अस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। यह समूह मुक्त, मजबूती और सुरक्षित इंड़े-पड़ोसिक क्षेत्र के निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में इस यात्रा के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा होने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से जापान भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है। जापानी कंपनियों ने भारत में अटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, आधारभूत संरचना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। डिजै-मुन्ड औद्योगिक रिलियाय, मुन्ड-अग्रतकबर हार्ड-सॉफ्ट रेल परियोजना तथा अनेक मेट्रो परियोजनाओं में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ते तथा नए निवेश अवसरित करने पर भी इस यात्रा के दौरान जोर दिया जाएगा। हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल हो सकते हैं। भारत वर्ष 2070 तक नेट-न्यूट्रल उद्घाशन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जबकि जापान स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के विकास में अग्रणी देशों में शामिल है। सहयोग ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा ट्रेड तथा कृषि कार्बन उत्सर्जन में कमी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के

बीच सहयोग की अपर संभावनाएं हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी भारत और जापान नई सहयोगी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सहकर सुरक्षा, 5जी और 6जी संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने पर दोनों देशों का विशेष ध्यान है। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग और आपूर्ति कृच्छ्रता में विविधता लाने की आवश्यकता को देखते हुए भारत और जापान मिलकर नई रणनीति तैयार कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी अत्यंत मजबूत हैं। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत और जापान सदियों से जुड़े रहे हैं। योग, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। छत्र आदान-प्रदान, शोध कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री सुनाए ताकहशी की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऐसे समय भारत आई हैं जब विश्व नई आर्थिक और समर्थक चुनौतियों का सामना कर रहा है। वैश्विक आपूर्ति कृच्छ्रता, ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजनीतिक तनाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसे विषयों पर भारत और जापान की समान सोच दोनों देशों को स्वाभाविक सहयोगी बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से भारत-जापान संबंधों को नई दिशा मिलेगी। कई महत्वपूर्ण समझौतों, निवेश घोषणाओं और सहयोग परियोजनाओं की संभावना भी जलाई जा रही है। यदि दोनों देश तकनीक, विनिर्माण, खा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ते हैं तो इसका लाभ केवल भारत और जापान ही नहीं, बल्कि पूरे इंड़े-पड़ोसिक क्षेत्र को मिलेगा। अंततः, प्रधानमंत्री सुनाए ताकहशी की पहली आधिकारिक भारत यात्रा केवल एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि दो लोकतांत्रिक और समान विचारधारा वाले देशों के बीच विश्वास, सहयोग और सख्त भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक है। यह यात्रा इस बात का संकेत देती है कि बढ़ते वैश्विक पर्यटन में भारत और जापान अपनी वैश्विक सहयोगी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे वाले वर्षों में यह सहयोग आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हम भारत के लोग

मेरा पासपोर्ट नवम्बर 2011 में जारी हुआ था। अगले साल इसकी अवधि समाप्त हो रही है। इसमें मेरी रेसिडेंसिट्री अर्थात राष्ठीयता 'इंडियन' लिखी हुई है। इसी पासपोर्ट के आधार पर मुझे चीना मिलता है। बिदेसी हवाई अड्डों पर भी मुझे इसलिए प्रवेश मिलता है क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। पर अब हमारे बिदेस मंजालय ने खेद से यह स्पष्टीकरण जारी किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है और यह महज एक 'ट्रैवल डॉक्यूमेंट' या यात्रा दस्तावेज है। एक ब्रटक में हमारे बिदेश मंजालय ने हम करोड़ों भारतीयों का यह धम तोड़ दिया कि हमारे हाथ में जो नीले रंग का पासपोर्ट है वह हमारी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। यह भी स्पष्ट नहीं आया कि अनाकत यह स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्या थी? जो दफ्तरी से चली चल रहा था पर सवाल क्यों लगावा जा रहा है? किसी ने राष्ठीयता का सवाल नहीं उठाया, न किसी दूसरे देश ने हो माफ़ता उठाया। पर हमें बताया जा रहा है कि पासपोर्ट तो मात्र यात्रा दस्तावेज है। यह सरकार ऐसे मुद्दे क्यों उठाती रहती है जो पेशानी पैदा करते हैं? क्या बांकी मामले चल रहे गए? सरकार अपने लोगों को अविश्वास में क्यों देखती है? पासपोर्ट जारी करने समय बहुत जांच होती है। कई दस्तावेज चेक होते हैं। पुलिस की तहरीकृत से गुजरना पड़ता है। मेरे जैसे निम्नके पास दफ्तरी से पासपोर्ट है, की भी नए पासपोर्ट के लिए पुलिस जांच होती है। जावेद अख्तर ने कहा है, अगर सरकार को इस बात का विश्वास नहीं है कि अखेदक भारतीय नागरिक है तो उसे पासपोर्ट जारी क्यों हो रहा है? आधार के बारे तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो कह चुका है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, मात्र पहचान और निवास का प्रमाण है। यह सही भी है, पर पासपोर्ट तो सभन जांच के बाद जारी होता है। इसे नागरिकता का प्रमाण क्यों न समझा जाए जबकि सरकार पहले यह स्वीकार कर चुकी है? सरकार कहती है कि भू-नागरिकों को भी अस्थायी पासपोर्ट जारी होता है। पर इसके कारण जो बाइरत में भारत के नागरिक हैं उन्हें अनावश्यक टेशन क्यों दी जा रहा है? पासपोर्ट बनाने समय नागरिकता के प्रमाण लिए जाते हैं, पर बाद में कहा जाता है कि यह दस्तावेज आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है! राशि

थरून ने सही इसे बेतुका कानूनी विरोधमसा' कहा है। देश में धुमपेट की समस्या है जिसका निपटारा होना चाहिए। लेकिन इसमें निपटने के लिए जहां समस्या है वहां केन्द्रित होना चाहिए, न कि करोड़ों भारतीयों को सारकारी चक्रव्यूह में फंसाया जाए। अगर पूर्व में धुमपेट है तो मांरे देश में एमरअईअर अभियान क्यों चलाया जा रहा है? कुछ को फकड़ने के लिए करोड़ों को बाबुओं की मज्जी पर क्यों छोड़ा जा रहा है? हमारे जैसे देश में करोड़ों गरीब, अनपढ़, प्रवासी, महिलाएं या विस्थापित हैं जिन्हें पास या तो दस्तावेज नहीं है, या गुम हो गए हैं। कईयों के नाम बदल गए, कईयों का निवास बदला गया। बड़ी संख्या के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है। उनका क्या बनेगा? जो मामूढ़ है उनके पास नष्टकर के दस्तावेज हैं, दफ्तरी के टैक्स नहीं हैं, खुल्लों के मर्डीकेट है। पर जो दलित है, आदिवासी है, प्रवासी मजदूर है और जो समाज के हरिये पर हैं उन्हें तो अपना वनूद मिट कर ही चुनौती लेगी कि वह है। सरकार हमें चक्रों में क्यों खल रही है? जैसे पहले चल रहा था वैसे क्यों नहीं चल सकता? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिकता दुर्घत दले की तल्सू टिप्पणी है कि, भारत सरकार के लिए 145 करोड़ लोगों का कोई अखिल नहीं जब तक कि वह खुद यह याचित न करें कि वह भारतीय है। एक नागरिक की जिन्यटी अमान बनाने की जगह उसे और जटिल और उलझी क्यों बनाई जा रही है?अगर आम आदमी से पूछा जाय कि सबसे विश्वासनीय दस्तावेज कौन-सा हो तो वह पासपोर्ट का नाम लेगा फिर सरकार इसका अस्मूल्यन क्यों करने की कोशिश कर रही है? अगर कानून हमारे पास कोई और प्रमाणपत्र नहीं है तो कम से कम तब तक इसे जारी रखा जा सकता, जैसे पहले माना जाता था ? पूर्व उक्तलुगीय फयनन मुसफन का सुझाव अख है कि निम्नका भारत में जन्म हुआ है उसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए और पासपोर्ट और चोटर काई को इसका प्रमाण माना जाना चाहिए। अमेरिका में क्या जन्मा नागरिक माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बदलने का प्रयास किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। भारत में इससे आम आदमी को चिन्ता खूब हो पाएगी कि वह कौन है?भारत सरकार को शांति से समाधान ढूँढना

चाहिए कि एक आम नागरिक अपनी राष्ठीयता साबित कैसे करे? हमारे राष्ठीयता की उद्देशिका इन कश्दे से शुरू होती है, 'हम भारत के लोग'। अर्थात संविधान भारत पर भारत के लोगों के स्वाभित्व के सिद्धांत से शुरू होता है, पर हलत यह बन गई है कि हमें ही मालूम नहीं कि हम है क्या? हम है कौन? महाराष्ट्र में शिक्षकों को टाईटी परीक्षा पेपर लोक होने के बाद रश्चित हो गई। यह कैसी बेकार व्यवस्था है जहां बाब-बाब पेपर लोक ले रहे हैं? डेट पेपर लोक के बाद सबको सावधान हो जाना चाहिए था, विशेष पर नर्बक उसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, पर नहीं, वहीं चाल बढेगी जो पहले थी वह अब भी है। क्या इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में सभा सभा उद्भव ठाकरे की बनी-खुची पार्टी को तोड़ने पर था और अख शासन बनाना प्राणमिका नहीं है? मया प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन वादत पर आरोप लग रहा है कि उनके परिवार और रिस्तेदारी ने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे न 167 एकड़ के 137 प्लॉट खरीदे हैं। इंडियन एवमप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह जमीनें पहले जहां खरीदी गईं जहां विकास होना था और जो उनसे के मायदर प्लान में थी। इसी अखबार की सूबर है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भणोर चौधरी ने अपने ही मंजालय से अपने खोस फर्म के लिए 99.60 लाख रुपए की सन्धिदाई प्राप्त की है। यह आपराधिक माफ़ता नहीं है, नैतिक है। 'कंपलिसट ऑफ टूटेस्ट', हिंदों के टकराव का है। क्या एक मंत्री बूटू को सन्धिदाई दे सकता है? वह तो पुण्डे कक्षीय शासन की याद ताज़ा करता है। सबसे बड़ी दुर्घटना अयोध्या में हो गई है। जहां का राम मंदिर एक सभायय मंदिर नहीं है वह सांस्कृतिक धान की अभिव्यक्ति है। करोड़ों की आस्था का प्रतीक है। 500 वर्ष इसके लिए संघर्ष किया गया और अखरि में 'बहु' भव्य मंदिर बनाया गया जिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। इसीलिए देश और बिदेश में इसे लेकर इतना उलझा है। दुनिया पर से इसके लिए चक्रव्यूह आया है, पर अब बताया जा रहा है कि चक्रव्यूह में भारी रोंध लगा गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो प्रमुख पदाधिकारी चम्पत और अनिल मिश्र इसीतोप दे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कोई बनेगा नहीं। वह तो

पनामा नहर, जन्मसिद्ध नागरिकता और राष्ट्रपति की शक्तियां

अब चीन पनामा नहर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह केवल व्यापार का प्रश्न नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है। उनके अनुसार, यदि चीन इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर प्रभाव स्थापित करता है तो इसका असर वैश्विक व्यापार और अमेरिका की राष्ट्रीय स्थिति दोनों पर पड़ सकता है। पनामा नहर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली यह नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमेरिका ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन 1977 में उत्सलीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के नेता उमर तोरीहेस के बीच हुए तोरीहेस-कार्टर समझौते के तहत नहर का नियंत्रण धीरे-धीरे पनामा को सौंपने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1999 में पनामा ने इस नहर का पूर्ण नियंत्रण सौंपाल लिया। ट्रंप लंबे समय से इस फैसले की आलोचना करते रहे हैं और उनका मानना है कि यह अमेरिका के हिंदों के खिलाफ था। अपने भाषण में ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी

यह प्रभाव मजबूत के बाद इस प्रश्न से मुक्त हुए लोगों के बची को नागरिकता देने के उद्देश्य से बनाया गया था, न कि उन बिदेसी नागरिकों के बचों के लिए जो अस्थायी रूप से अमेरिका आते हैं। उन्होंने कहा कि अमीर बिदेसी नागरिक अपने निजी विमानों से अमेरिका आते हैं और उनके यहां जन्मे बच्चों को सत्ता नागरिकता मिल जाती है, जबकि संविधान का उद्देश्य ऐसा नहीं था। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर गलत फैसला दिया है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि भविष्य में इस मुद्दे का समाधान उनकी सोच के अनुरूप होगा। हालाँकि, संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि 14वीं संशोधन की व्याख्या लंबे समय से इस आधार पर की जाती रही है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला लगभग हर व्यक्ति अमेरिकी नागरिक होगा, कुछ सीमाएं अपवादों को छोड़कर। यही कारण है कि जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रश्न हमें इस आधार पर की जाती रही है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले नागरिकों को चोटर काई को इसका प्रमाण माना जाना चाहिए। अमेरिका में क्या जन्मा नागरिक माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बदलने का प्रयास किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। भारत में इससे आम आदमी को चिन्ता खूब हो पाएगी कि वह कौन है?भारत सरकार को शांति से समाधान ढूँढना

कार्यपालिका से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने के अधिक व्यापक अधिकार दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रपति पद की संवैधानिक शक्ति को पुनर्संघापित करता है और प्रवासी शासन के लिए आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि लगभग एक शताब्दी से राष्ट्रपति के अधिकार सीमित कर दिए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोबारा मजबूत किया है। ट्रंप के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति के पास अपने नीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार होने चाहिए। हालाँकि, इस मुद्दे पर भी विशेषज्ञों की राय विभाजित है। कुछ संवैधानिक विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रपति के अतिरिक्त अधिकार मिलने से शासन में नियंत्रण लेने की प्रक्रिया तेज होगी, जबकि अन्य विशेषज्ञ इसे शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी संविधान का मूल उद्देश्य अधिकार और व्यापारिकता के बीच संतुलन बनाए रखना है। ट्रंप के इन बयानों का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। पनामा नहर को लेकर चीन का उल्लेख अमेरिका और चीन के बीच जारी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की ओर संकेत करता है। हाल के वर्षों में चीन ने लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के कई क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और निवेश के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया है। ऐसे में ट्रंप का बयान स्पष्ट करता है कि यदि वे अपनी नीतियों को आगे बढ़ते हैं तो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। वहीं, फोर्ब्स स्तर पर जन्मसिद्ध नागरिकता और राष्ट्रपति की शक्तियों पर दिए गए बयान आगामी राजनीतिक विमर्शों को और अधिक लचीला बना सकते हैं। अखबार नीति पहले से ही अमेरिकी राजनीति का सबसे ज़िक्रदसपद विषय रही है और ट्रंप लगातार इसे अपने राजनीतिक एजेंडा का प्रमुख हिस्सा बनाने रहे हैं। कुल मिलाकर, अमेरिका अतिरिक्त शक्ति को बनाती है, जिसकी कीमत अमेरिकी नागरिकों को चुनौती देने की रणनीति, जन्मसिद्ध नागरिकता की नई व्याख्या और राष्ट्रपति के अधिकारों के विस्तार जैसे मुद्दों आने वाले समय में अमेरिकी राजनीति के केंद्र में बने रह सकते हैं।

कुशीनगर में शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 का शांतिपूर्ण आगाज़, डीएम-एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण



कुशीनगर।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के पहले दिन जनपद में परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परीक्षा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने

किसान इंटर कॉलेज, शाखोपार तथा उदित नारायण पीजी कॉलेज, ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी का भ्रमण किया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर स्थापित निगरानी कक्ष, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को भी समीक्षा की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों एवं इयूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा की प्रत्येक प्रक्रिया शासन की

उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर स्थापित निगरानी कक्ष, सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया।

मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और सतर्कता के साथ संपन्न कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुचित साधनों के प्रयोग अथवा नकल संबंधी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परीक्षा की शुचितता बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, सतत निगरानी और प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है, ताकि परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न हो सके।

भटनी के स्कूलों में सुबह-सुबह पहुंचे डीएम, शिक्षा व्यवस्था की हकीकत परखी



भटनी देवरिया।

जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और स्कूल चलो अभियान को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधस्तिवार सुबह भटनी विकास खंड के चार विद्यालयों एवं एक आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह करीब 7:45 बजे शुरू हुए निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, पठन-पाठन की गुणवत्ता, शिक्षकों की समयबद्धता तथा विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। डीएम ने प्राथमिक

विद्यालय देवघाट, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय बभनवली कला तथा प्राथमिक विद्यालय सकरापार का निरीक्षण किया।

प्राथमिक विद्यालय सकरापार में उन्होंने बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी शैक्षणिक जानकारी परखी और कई संवाद पूछे। साथ ही शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, बच्चों को निपुण बनाने तथा समय से विद्यालय पहुंचने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक प्रधानाध्यापक, एक सहायक अध्यापिका और दो शिक्षामित्र अनुपस्थित मिले। इसे

चार शिक्षाकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश

गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने सभी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाए और कोई भी बच्चा ड्रॉपआउट न रहने पाए। उन्होंने नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित करने तथा परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं और शैक्षिक गुणवत्ता की जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। इसके बाद डीएम ने बभनवली कला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने बच्चों के पोषण, शिक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और सभी अनुमन्य सुविधाएं समय पर बच्चों तक पहुंचाई जाएं।

विकास भवन से स्कूल चलो अभियान का शंखनाद, बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत



देवरिया।

परिषदीय विद्यालयों में छत्र-छत्राओं का पंजीकरण बढ़ाने और शिक्षा की मुख्यधारा से हर बच्चे को जोड़ने के उद्देश्य से गुरुवार को जनपद में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का भव्य शुभारंभ हुआ। विकास भवन परिसर में आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे। अतिथियों ने कलेक्ट्रेट और विकास भवन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में परिषदीय स्कूलों के नवप्रवेशी बच्चों का रोली-तिलक लगाकर स्वागत किया और उन्हें प्रतीक स्वरूप पठन-पाठन सामग्री वितरित कर इस वृहद नामांकन उत्सव का आगाज किया। अभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता प्रसार के लिए विकास भवन से एक विशाल रैली निकाली गई। बैनर, पोस्टर और शिक्षापरक स्लोगन तख्तियों के साथ शामिल सैकड़ों छत्र-छत्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों की इस रैली को सदर विधायक, सीडीओ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. राम जियावन मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस विकास भवन आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रथम चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले

नवीन शैक्षिक सत्र के तहत प्रवेशोत्सव और प्रभात फेरी का भव्य आयोजन सदर विधायक और सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना

पांच प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवार के बच्चे को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, यही शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रशासनिक सुशासन को सुदृढ़ करते हुए बीएसए डॉ. राम जियावन मौर्य ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के लिए निर्धारित नामांकन लक्ष्य को आगामी 15 जुलाई 2026 तक हर झल में शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। इसके साथ ही, जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जिले के समस्त प्राथमिक, कंपोजिट, पीएम श्री और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ-साथ उत्सव का माहौल बनाए रखने को कहा गया है। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, पंकज सिंह, जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र सिंह सहित शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि और भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अनजान लिंक पर क्लिक, एक झटके में खाता खाली

महराजगंज।

साइबर अपराधी रकम ठगने के लिए तरह तरह के हथकण्डे अपना रहे हैं। पीड़ितों की ओर से त्वरित शिकायत मिलने पर साइबर रकम वापस करने में मदद कर रहा है। बुधस्तिवार को 9,860 रुपये पीड़ित को खाते में वापस करवाया गया। पीड़ित को रकम दिलाने में करीब छह माह का वक्त गुजर गया। साइबर सेल की ओर से लोगों को जागरूक करने के साथ ही अनजान लिंक को अनदेखा करने का अनुरोध किया जा रहा है। छोटी सी चूक लोगों को मुश्किल में डाल देती है। चौक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव के रहने वाले उदयभान करीब छह माह पहले साइबर ठगी के शिकार हो गए। छह जनवरी 2026 को उनके मोबाइल पर एक लिंक आया। उसके निचे लिखा था की टीवी, फ्रीज समेत अन्य सामान लेने पर छूट मिलेगा। बकायादा कंपनी का नाम लिखकर

जनवरी में हुई जालसाजी तो जुलाई में पीड़ित को मिली रकम, खाते में रकम आने में लगे करीब छह माह

गुमराह किया था। उदयभान झांसे में आकर योही लिंक पर क्लिक किए त्योही जालसाज के जाल में फंस गए। क्लिक करने के बाद एक के बाद एक सूचनाएं भरने को कहा गया। इसके बाद उदयभान की ओर से क्रमश सभी जानकारी दर्ज कर दी गई। अंत में ओटीपी आया तो उसे खाली स्थान पर दर्ज करने को कहा गया। उदयभान ने ओटीपी दर्ज कर दी। करीब एक घंटे के बाद खाते से रकम कट गया। 9,860 रुपये का संदेश आया। यह देखकर वह परेशान हो गए। आस पास के लोगों से जानकारी ली तो पता चला की साइबर ठगी हो गई है। उन्होंने बगैर देरी किए सीधे साइबर सेल में

शिकायत दर्ज कराई। टीम की ओर से जरूरी औपचारिकता पूरी करने के बाद जालसाजों पर शिकंजा कसा गया। एक एक बाद एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में छह माह गुजर गया। 2 जुलाई को उदयभान के खाते में साइबर सेल ने रकम वापस करने में सफलता हासिल की। उन्होंने साइबर सेल के प्रति अभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लालच में आने के कारण यह गड़बड़ी हो गई। किसी को भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है।

साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक सजनू यादव ने बताया कि शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस की ओर से 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं पोर्टल के माध्यम से संबंधित बैंक से तत्काल समन्वय स्थापित किया गया। पुलिस की तत्परता एवं समयबद्ध कार्रवाई के फलस्वरूप पीड़ित के बैंक खाते में 9,860 रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो अभियुक्त छह माह के लिए कुशीनगर से निष्कासित

कुशीनगर। जनपद में कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को छह माह के लिए जनपद कुशीनगर की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार उमेश भारती पुत्र रामनेश भारती, निवासी ग्राम पगारा पड़री, थाना पटखेवा को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के तहत गुण्डा घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद से निष्कासित किया गया है। इसी प्रकार कमलेश खरवार पुत्र वीरेंद्र खरवार, निवासी उरदहा नंबर-1, थाना रामकोला को भी धारा 3(3) के अंतर्गत गुण्डा घोषित कर छह माह के लिए जनपद कुशीनगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया है।

सदर स्टेशन पर शराब की बड़ी खेप बरामद, बिहार के तीन तस्कर गिरफ्तार



देवरिया।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के दृष्टिगत रेलवे स्टेशनों पर बरती जा रही प्रशासनिक मुस्तेदी और सघन निगरानी के बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार को देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक के पश्चिमी छोर रोड के नीचे संयुक्त चेकिंग के दौरान जीआरपी, आरपीएफ और सीआईबी भटनी की टीम ने घेराबंदी कर तीन शांति अंतर्गामी तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब

बरामद हुई है, जिसे बैग में भरकर तस्करों के जरिए बिहार ले जाने की योजना थी। रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अमन कुमार (18 वर्ष, पुत्र राजेश चौधरी), पंकज कुमार (18 वर्ष, पुत्र अशोक सिंह) और हिमांशु कुमार (24 वर्ष, पुत्र कमलेश शर्मा) के रूप में हुई है। यह तीनों आरोपी बिहार राय के वैशाली जिला अंतर्गत नगर थाना क्षेत्र के बागमाली व टंगौल के निवासी हैं। इनके पास मौजूद दो बड़े बैगों की तलाशी लेने पर 750 एमएल की 24 बोतल रॉयल स्टैंग और 180 एमएल की 192 शीशी

यूपी टीईटी परीक्षा के महेनजर स्टेशन पर चल रही चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म संख्या एक से पकड़े गए आरोपी दो बैगों से कुल 52.56 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, कीमत करीब 47 हजार रुपये

आफ्टर डर्क व्हिस्की बरामद की गई। बरामद कुल 52.560 लीटर अंग्रेजी शराब की अनुमानित बाजार कीमत 47,280 रुपये आंकी गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हेतु के कारण वे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से सस्ते दामों पर शराब खरीदते थे और वहां ले जाकर देगुने दामों पर बेचकर अवैध मुनाफा कमाते थे। इस मामले में जीआरपी थाना देवरिया में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 33/2026 पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस सफल कार्रवाई में जीआरपी थानाध्यक्ष अभियेक पांडेय, सीआईबी भटनी के उपनिरीक्षक चंद्रसेन सिंह, आरपीएफ के उपनिरीक्षक रमाशंकर सिंह सहित सुरेंद्र यादव, सुधीर दीक्षित और आनंद प्रकाश मुख्य रूप से शामिल रहे। मामले की अगली जांच उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार को सौंपी गई है।

